संख्या-320/2026/I/1416611/2026/004/23-6099(099)/23/2026

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के कुल 05 सेतु (शहरी) के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के कुल 05 सेतु (शहरी) के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 862.78 लाख (रूपये आठ करोड़ बांसठ लाख अटहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23618/CE-SEB/RYBCP/ADY/2026-27 Dt- 08-07-2026	नि.ख.-3 बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में पुराना एन0एच0728 लखनऊ-फैजाबाद-गोरखपुर-मोकामा (बाराबंकी शहरी भाग) मार्ग के किमी0-27 में जमुरिया नाले पर 3x10 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु व पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	20/2024/1985/001-1356-23-10-22-2024-दिनांक-25-11-2024	320.26 320.26 37.18 283.08	210.51	72.57	57.18	15.39	72.57
2	तदैव	नि.ख.-3 बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड कोडीडीह जगहनेटा मार्ग के किमी0-3 में रेठ नदी/जमुरिया नाले पर 3x10 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु व पहुँच मार्ग के निमाण कार्य।	20/2024/1985/001-1356-23-10-22-2024-दिनांक-25-11-2024	287.97 287.97 35.70 252.27	201.58	50.69	39.94	10.75	50.69
3	23623/CE-SEB/RYBCP/GKP/2026-27 Dt- 08-07-2026	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में सुभाष चौक से शुगर फैक्ट्री मार्ग के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3x4 मीटर स्पान आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट(लघु सेतु) का निर्माण कार्य।	286/2025/आई/1112316/2025/23-6099/157/2025-दिनांक-09-10-2025	200.03 200.03 12.59 187.44	100.01	87.43	55.15	14.85	70.00
4	23624/CE-SEB/RYBCP/JHA/2026-27 Dt- 08-07-2026	सेतु निगम ललितपुर	जनपद ललितपुर में आजाद चौक-कैलगुवाँ मार्ग पर शहजाद नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	01/2025/01/001-1919-23-6099-21-2024-दिनांक-01-01-2025	1101.67 1076.15 0.00 1076.15	550.83	525.32	370.50	99.74	470.24

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	23625/CE-SEB/RYBCP/MRT/2026-27 Dt- 08-07-2026	सेतु निगम बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में एन0एच0-91 (पुराना एन0एच0) बुलन्दशहर आबादी (भूड़ चौराहे से एन0एच0-34 के मध्य) के मार्ग पर अपर गंगा कैनाल एवं सामानान्तर अपर गंगा, कैनाल पर 02 लेन सेतुओं, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	380/2025/आई/1171645/2025/23-6099/227/2025-दिनांक 11-12-2025	1364.07 1293.02 0.00 1293.02	447.23	845.79	157.01	42.27	199.28
कुल योग								**679.78**	**183.00**	**862.78**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,79,78,000 (रुपये छह करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010406 शहरी क्षेत्रो में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,83,00,000 (रुपये एक करोड़ तिरासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047890406 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।